पंकज दीक्षित, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2016 को जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ::–

उपस्थिति :– बैठक में अद्योहस्ताक्षरी के अतिरिक्त निम्नांकित पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1. पुलिस अधीक्षक–सह–सदस्य, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण, किशनगंज।
2. अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य सचिव, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण, किशनगंज।
3. वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, किशनगंज।

–: *कार्यवाही* :–

1. पूर्व में जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की बैठक माह दिसम्बर, 2015 में दिनांक 19.12.2015 को आयोजित की गई थी। सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 775/जि.विधि, दिनांक 29.12.2015 द्वारा सभी संबंधितों को भेजी गई है।
2. जिला उत्तरदायित्व प्राधिकारण की गत बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन की समीक्षा की गयी तथा अधिनियम की धारा 60 के तहत जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के कार्यो की समीक्षा भी की गयी।
3. अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि गठित जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण का व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं किये जाने से जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण का महत्त्व नहीं रह जाता है, इसलिए गठित जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण का व्यापक प्रचार–प्रसार क्षेत्र/विभिन्न जन बैठकों में की जाय ताकि जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की सार्थकता से आम जनता अवगत हो सके तथा जिला प्रशासन, पुलिस एवं आम जनता के साथ सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण और सुदृढ़ हो सके।
4. गत बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार गठित जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मुख्य स्थलों पर फ्लैक्स लगाये जाने हेतु प्रारुप के संबंध में निर्णय लिया गया था। उक्त आलोक में अपर पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के ज्ञापांक 81/अ.पु.अधी., दिनांक 20.04.2016 द्वारा विषयांकित फ्लैक्स का प्रारुप प्राप्त है। विमर्शोपरान्त इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज, अपर पुलिस अधीक्षक, किशनगंज से समन्वय स्थापित कर विधिवत रुप से विषयांकित से संबंधित फ्लैक्स का तथ्य परक प्रारुप तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे, जिसे जिला कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं पुलिस स्टेशनों के सुगोचर स्थलों पर आवश्यकतानुसार आम जनता की जानकारी हेतु लगवाया जाऐगा ताकि क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार हो सकें।

5. वर्त्तमान त्रैमास में जिला एवं पुलिस अधीक्षक, किशनगंज कार्यालय में कोई विषयांकित परिवाद–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

6. कैलेण्डर वर्ष–2015 का वार्षिक प्रतिवेदन विहित–प्रपत्र में भेजने हेतु पुलिस अधीक्षक, किशनगंज से अनुरोध किया गया।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(पंकज दीक्षित, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष,
जिला उत्तदायित्व प्राधिकरण,
किशनगंज।

ज्ञापांक 501 / जि.विधि, किशनगंज, दिनांक 11/05/2016

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर पुलिस अधीक्षक / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल दंडाधिकारी / वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव / अवर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार, पटना को कार्यालय पत्रांक 6567, दिनांक 03.09.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

10/05/16
(पंकज दीक्षित, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष,
जिला उत्तदायित्व प्राधिकरण,
किशनगंज।